भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2550
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तीकरण योजना 'सबला'

2550. श्री जी॰ सेल्वमः
श्री गौतम सिगामणि पोनः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री सोयम बापू रावः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰ः
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटीलः
श्री धनुष एम॰ कुमारः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तीकरण योजना 'सबला' शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;
(ख) इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इसकी शुरुआत के बाद से लेकर अब तक, कितनी किशोरी बालिकाओं को लाभ हुआ है;
(ग) इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या योजना है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
(घ) उक्त योजना की कार्य-निष्पादन समीक्षा का ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और इसके कार्यान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियां सामने आ रहीं हैं;और
(ङ) क्या उक्त योजना का विस्तार कुछ और जिलों में किया जाना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मात्रा में पूरक पोषक आहार जारी किया गया है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ख) : राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला की शुरूआत 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को आत्मविकास और सशक्तीकरण के लिए सक्षम बनाने, उनकी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को सुधारने,

स्वास्थ्य स्वच्छता, पोषण, किशोरियों के प्रजन्नन और यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) और किशोरी पोषण कार्यक्रम (एनपीएएल) को बदलकर प्रायोगिक आधार पर देश के 200 जिलों में सन 2010 में की गई थी । इसके पश्चात् सरकार ने 11 से 14 वर्ष की किशोरियों की, किशोरी स्कीम के विस्तार और वैश्वीकरण को चरणबद्ध रूप से अर्थात 2017-18 में अतिरिक्त 303 जिलों में और 2018-19 में शेष जिलों में अनुमोदन प्रदान किया था । तदनुसार, 2017-18 में किशोरियों के लिए स्कीम को देश के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है और पूर्ववर्ती स्कीम किशोरी शक्ति योजना को समाप्त कर दिया गया है ।

आंगनवाडी कर्मचारी 11 से 14 वर्ष की आयु में स्कूल छोड चुकी किशोरियों की पहचान करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्कीम के अंतर्गत स्वंय को पंजीकृत करवाने के लिए किशोरियों को सलाह देने के लिए पीआरआई, स्कूल टीचरों और अन्य हितधारकों की मदद से अपने क्षेत्र में घरेलू दौरे करेगी । किशोरियों के लिए स्कीम के अंतर्गत पोषण लाभार्थियों का गत तीन वर्षों का ब्यौरा अनुलग्नक - । में है ।

(ग) और (घ) मिड मीडिया गतिविधियों, काला जत्था, नुक्कड नाटकों आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढाने के लिए इस स्कीम में गहन आईईसी अभियान और सामुदायिक गतिशीलता की परिकल्पना की गई है । समय-समय पर इसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और इस स्कीम को वित्त मंत्रालय के आउटपुट आउटकम निगरानी ढांचे के अंतर्गत भी शामिल किया गया है ।

(ड.) सरकार ने किशोरियों के लिए स्कीम के विस्तार और वैश्वीकरण को चरणबद्ध रूप से अर्थात 2017-18 से अतिरिक्त 303 जिलों और 2018-19 में शेष जिलों में भी अनुमोदन प्रदान किया है । तदनुसार 2017-18 में स्कीम को पूरे देश के अतिरिक्त 303 जिलों में विस्तारित किया गया था और दिनांक 01.04.2018 से किशोरियों के लिए स्कीम को देश के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है और पूर्ववर्ती स्कीम किशोरी शक्ति योजना को समाप्त कर दिया गया है । गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किए गए पोषण अनुपूरकों की मात्रा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में है ।

******

अनुलग्नक-I

‘किशोरियों के सशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम’ से संबंधित 06.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एसएजी के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान संपूरक पोषण के लाभार्थियों की राज्य और वर्ष वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/ सं.रा.क्षे.	एसएजी के तहत संपूरक पोषण के लाभार्थी			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	291018	14763	39181	4496
2	अरुणाचल प्रदेश	11558	266	482	482
3	असम	469521	एनआर	54352	68545
4	बिहार	1999642	396805	130222	17824
5	छत्तीसगढ़	381560	13673	16093	17529
6	गोवा	34806	45	21	7
7	गुजरात	529521	एनआर	174620	109743
8	हरियाणा	168967	667	5066	3581
9	हिमाचल प्रदेश	102496	825	630	570
10	जम्मू और कश्मीर	87656	एनआर	16963	6391
11	झारखंड	333234	63515	एनआर	18652
12	कर्नाटक	350269	28022	58670	17106
13	केरल	238372	712	241	158
14	मध्य प्रदेश	995000	125452	305000	180000
15	महाराष्ट्र	848673	45898	24478	36997
16	मणिपुर	42247	5061	4056	4267
17	मेघालय	59429	1852	1655	1122
18	मिजोरम	28148	897	715	1131
19	नागालैंड	19456	6455	7320	7320
20	ओडिशा	590168	56893	एनआर	25000
21	पंजाब	188723	2143	4339	4781
22	राजस्थान	0	एनआर	173591	49631
23	सिक्किम	10473	6	एनआर	21
24	तमिलनाडु	410247	2337	एनआर	1033
25	तेलंगाना	155861	एनआर	19410	25000
26	त्रिपुरा	54208	971	2031	601
27	उत्तर प्रदेश	2082000	एनआर	277000	341518
28	उत्तरांचल	0	एनआर	एनआर	26950
29	पश्चिम बंगाल	100106	2842	2055	58123
30	अंडमान व निकोबार	10649	25	21	3
31	चंडीगढ़	1741	186	55	55
32	दमन और दीव *	1458	0	20	0
33	दादर एंव नागर हवेली	6228	एनआर	एनआर	33
34	दिल्ली	92158	3383	2280	2268
35	लक्षद्वीप	2553	10	7	3
36	पुदुचेरी	4221	18	22	14
	कुल	1,07,02,367	7,73,722	13,20,596	10,30,955

अनुलग्नक-II

‘किशोरियों के सशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम’ से संबंधित 06.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2550 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एसएजी के तहत पिछले ती वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान निमुक्त निधि का राज्य और वर्ष वार विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/ सं.रा.क्षे.	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	762.99	2259.52	1011.98	127.39
2	अरुणाचल प्रदेश	126.25	87.96	0.00	33.71
3	असम	1356.94	341.92	0.00	488.62
4	बिहार	2696.83	4003.74	25.54	582.91
5	छत्तीसगढ़	1389.69	2792.61	724.75	48.40
6	गोवा	131.50	302.77	0.40	43.03
7	गुजरात	1443.18	2690.09	5092.44	1937.79
8	हरियाणा	104.74	589.97	37.41	70.56
9	हिमाचल प्रदेश	720.45	1129.42	0.00	0
10	जम्मू और कश्मीर	194.63	255.91	560.39	46.53
11	झारखंड	145.57	1495.55	0.00	254.39
12	कर्नाटक	740.73	2466.93	923.76	1253.33
13	केरल	1057.73	692.91	289.74	1.08
14	मध्य प्रदेश	5302.02	8641.18	5442.40	1118.38
15	महाराष्ट्र	5334.42	3995.68	3536.78	925.32
16	मणिपुर	49.65	170.28	0.00	96.86
17	मेघालय	919.65	528.83	12.55	1278.91
18	मिजोरम	91.78	123.95	69.32	13.56
19	नागालैंड	206.31	193.14	214.30	223.29
20	ओडिशा	2867.25	2442.60	866.77	72.60
21	पंजाब	0	40.60	26.30	0
22	राजस्थान	0	39.38	0.00	0
23	सिक्किम	32.54	15.42	0.00	0
24	तमिलनाडु	2655.26	3196.22	0.00	95.48
25	तेलंगाना	572.39	81.40	107.49	151.54
26	त्रिपुरा	334.81	674.38	19.16	32.27
27	उत्तर प्रदेश	10932.99	4486.13	1000.35	1827.57
28	उत्तरांचल	43.02	3.30	0.00	0
29	पश्चिम बंगाल	40.41	282.47	101.85	126.72
30	अंडमान व निकोबार	107.05	51.35	3.18	1.02
31	चंडीगढ़	12.11	12.68	2.33	2.46
32	दमन और दीव	14.14	14.14	4.53	0
33	दादर व नागर हवेली	16.44	16.44	4.94	0.42
34	दिल्ली	276.66	490.19	320.48	12.84
35	लक्षद्वीप	2.20	11.65	3.11	0.07
36	पुद्दुचेरी	17.72	8.81	1.63	0
	कुल	47700.06	44629.53	20403.88	108.67